मणिपुर राज्य और अन्य

वी.

केएसएच मोरंगनिन्थौ सिंह और अन्य

26 फरवरी, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

मणिपुर गृह रक्षक अधिनियम, 1966-एस. एस.4 (4) और 8-मणिपुर होम गार्ड्स नियम, 1981-rr.गृहरक्षकों के रूप में सेवाओं को नियमित करने और नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए 3,7 और 8-लिखित याचिकाएं-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-बचाव दल की शुद्धता, सही नहीं-गृहरक्षक के लिए प्रारंभिक नियुक्ति 3 साल के लिए है-बाद में पुनः नियुक्ति कमांडेंट के विवेक पर होती है-- गृह रक्षक एक स्वैच्छिक आरक्षित बल है जिसका उपयोग आपात स्थितियों में किया जाता है-पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना-सेवा कानून नियमितीकरण जैसी सेवा नहीं।

विभिन्न राज्यों के गृहरक्षक अधिनियम-जहां अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, ऐसे राज्यों में गृहरक्षकों के लिए धन जारी नहीं करने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को दिए गए सुझाव।

उत्तरदाताओं ने गृह रक्षक के रूप में अपनी ई सेवाओं को नियमित करने और नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए कई रिट याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को उत्तरदाताओं की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें सिविल पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन लाभों सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।अतः वर्तमान अपीलें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1.कर्नाटक राज्य के सचिव और अन्य मामलों में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए।उमा देवी और अन्य, यह न्यायालय सेवा में नियमितीकरण का निर्देश नहीं दे सकता है।चूँकि न्यायालय के पास नियमितीकरण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि उसके पास नियमिती कर्मचारियों को देय लाभों के अनुदान का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।[पैरा 7]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनामउमा देवी और ओआरएस., [2006] 4 एससीसी 1, इसके बाद आई।

2.मणिपुर होम गार्ड्स अधिनियम, 1966 और मणिपुर होम गार्ड्स नियम, 1981 के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि होम गार्ड्स एक आरक्षित बल था जिसका उपयोग आपात स्थितियों में किया जाना था, लेकिन यह पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना की तरह सेवा नहीं थी; और किसी सदस्य को 55 वर्ष की आयु तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।प्रारंभिक नियुक्ति बी 3 साल के लिए होती है जिसके बाद होम गार्ड के सदस्य को फिर से नियुक्त करना या नहीं करना कमांडेंट (कमांडेंट जनरल की मंजूरी के अधीन) के विवेक पर होता है।होम गार्ड की अवधारणा कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, आग, अकाल आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने और नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस के सहायक के रूप में एक स्वैच्छिक नागरिक बल की थी।[पैरा 12,13 और 14]

राजेश मिश्रा बनाम दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 98 (2002) डी. एल. टी. 624 (डी. बी.), अनुमोदित।

[न्यायालय ने कहा कि कई राज्यों में गृह रक्षक अधिनियम का दुरुपयोग होता प्रतीत होता है, और इसलिए केंद्र सरकार ऐसे राज्य में गृह रक्षकों के लिए डी निधि जारी नहीं करने पर विचार कर सकती है जहां अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2006 की सिविल अपील सं. 1897-1901

1995 की रिट अपील संख्या 97 और 1996 की 14 से 17 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए वी. एन. गणपुले, ख्वैरकपम नोबिन सिंह और एस. विश्वजीत मेइतेई।

वाहनवती सोल। उत्तरदाताओं के लिए जनरल, एस. के. भट्टाचार्य, एल. के. पाओनम, अजय कुमार पोरवाल, देवदत्त कामत, हृरिषिकेश बरुआ और सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा दिया गया था

1. ये अपीलें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ के 1995 की रिट अपील संख्या 97 और 1996 की 14 से 17 के विवादित फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

2. पार्टियों के लिए विद्वान परामर्श सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई थी कि होम गार्ड में उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाए।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय द्वारा राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें पेंशन लाभों सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया, जो सिविल पदों पर आसीन सरकारी बी कर्मचारियों को देय हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि होम गार्ड में 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए।विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियमों और अधिनियम में संशोधन का निर्देश दिया।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त फैसले के खिलाफ खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।

6. डिवीजन बेंच ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के पास अधिनियम और नियमों में संशोधन का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है, और हम इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि अधिनियम में केवल विधानमंडल द्वारा संशोधन किया जा सकता है और नियम डी में केवल राज्य सरकार या मणिपुर होम गार्ड्स अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त लोग ही संशोधन कर सकते हैं।हालांकि, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में दिए गए अन्य निर्देशों को बरकरार रखा।

7. हमारी राय है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय ई को ध्यान में रखते हुए, सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम।उमा देवी और अन्य, [2006] 4 एस. सी. सी. 1, यह न्यायालय सेवा में नियमितीकरण का निर्देश नहीं दे सकता है।चूँकि न्यायालय के पास नियमितीकरण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि उसके पास नियमिती कर्मचारियों को देय लाभों के अनुदान का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

8. यह ध्यान दिया जा सकता है कि होम गार्ड्स एक्ट का गठन आपात स्थितियों में सेवा के लिए एक एफ स्वैच्छिक संगठन के रूप में किया गया है और इसलिए इसे सेना, अर्धसैनिक संगठनों या नागरिक पुलिस जैसे अन्य संगठनों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

9. हमने मणिपुर होम गार्ड्स एक्ट, 1996 का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।अधिनियम की धारा 4 (4) में कहा गया हैः

> "इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, होम गार्ड संगठनों (प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) की सेवा करने के लिए एक होम गार्ड की आवश्यकता होगी, जिस अवधि को सरकार द्वारा ऐसी आगे की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो वह आवश्यक समझे, और एक होम एच 196।

इसके बाद गार्ड तीन साल की अवधि के लिए गठित होम गार्ड के आरक्षित बल में सेवा करेगा और ऐसे आरक्षित बल में सेवा करते हुए, किसी भी समय ड्यूटी के लिए बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. धारा 8 में कहा गया हैः "गृहरक्षकों को पुलिस बल की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है और जब उन्हें इस तरह से बुलाया जाता है तो वे पुलिस बल के अधिकारियों के नियंत्रण में इस तरह से और उस हद तक होंगे जो निर्धारित किया जाए।"

11.उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने नियमों के नियम 3 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गृह रक्षक के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका हो और 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका हो।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसका मतलब है कि होम गार्ड के सदस्य को 50 वर्ष की आयु डी तक बने रहने का अधिकार है।हम सहमत नहीं हैं।50 वर्ष की आयु अधिकतम सीमा है जिसके बाद होम गार्ड के सदस्य की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।मणिपुर होम गाड्र्स नियम 1981 के नियम 7 में कहा गया है कि होम गाड्र्स के सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होगा, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद वह फिर से नियुक्ति के लिए पात्र होगा।हालांकि, नियम 8 में कहा गया है कि होम गार्ड का कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ऐसा सदस्य बना रह सकता है।इसलिए, गृह रक्षक के सदस्य की नियुक्ति का प्रारंभिक कार्यकाल केवल तीन वर्ष हो सकता है, और उसे समय-समय पर फिर से नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह 55 वर्ष की आयु के बाद जारी नहीं रह सकता है।

12. गृहरक्षक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि गृहरक्षक एक आरक्षित बल था जिसका उपयोग आपात स्थितियों में किया जाना था, लेकिन यह पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना की तरह सेवा नहीं थी, और किसी सदस्य को 55 वर्ष की आयु तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजेश मिश्रा बनाम दिल्ली 98 (2002) डी. एल. टी. 624 (डी. बी.) के एन. सी. टी. मामले में लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देते हैं।

13. प्रारंभिक नियुक्ति 3 साल के लिए होती है जिसके बाद यह होम गार्ड के सदस्य को फिर से नियुक्त करने के लिए कमांडेंट (कमांडेंट जनरल की मंजूरी के अधीन) के विघटन पर होती है, या नहीं।

14. होम गार्ड की अवधारणा कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, आग, अकाल आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने और नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस के लिए एच सहायक के रूप में एक स्वैच्छिक नागरिक बल की थी।

15. ऊपर दिए गए कारणों से इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और खंड पीठ के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के एक विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

16. इस मामले को छोड़ने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि कई राज्यों में गृह रक्षक अधिनियम का दुरुपयोग होता प्रतीत होता है।इसलिए, केंद्र सरकार ऐसे राज्य में गृह रक्षकों के लिए धन जारी नहीं करने पर विचार कर सकती है जहां अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।

बी.बी. बी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।